रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 2001/वैशाख 10, 1923

No. 119] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 2001/VAISAKHA 10, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2001

विषय:- **परिधान और निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000-2004) - उन देशों के संबंध में जहां इस प्रकार के निर्यात, वस्त्र और क्लोदिंग करार के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं ।**

सं. 1/161/2000-निर्यात-I.— उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 1/128/99-निर्यात-1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसे बाद में दिनांक 10 दिसबंर, 1999, 7 फरवरी, 2000-निर्यात-1 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा, दिनांक 13 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/68/2000-दिनांक 21.7.2000 की अधिसूचना सं.1/21/2000-निर्यात-1, दिनांक 20 नवंबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/133/2000-निर्यात-1, दिनांक 8 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 13/33/2000-निर्यात-1 दिनांक 24 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 1/49/99-निर्यात-1 तथा अधिसूचना सं. 1/21/2000-निर्यात-1 द्वारा संशोधित किया गया है । यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना में निम्नानुसार और संशोधन किए जाएं : -

2. पैरा 10 में उप-पैरा (3) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा (4) जोड़ा जाए :-

" (4) कोटा प्रशासनिक प्राधिकारी (क्यू ए ए) द्वारा निर्धारित उपबन्धों के अनुसार निर्यातकों को लदान की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर लदान का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित है । यदि लदान नहीं होता है, तो मूल वीसा/ई सी/सी ओ तथा प्रमाणित बीजक परिषद को सुपुर्द करना होगा तथा ऐसा करने में असफल होने पर कारण बताओं नोटिस प्रदान करने के पश्चात् (स्वयं या स्थानातरण द्वारा प्राप्त) निर्यातक की हकदारी से कोटा की राशि के बराबर राशि वसूली जाएगी ।"

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना की सभी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2001

Sub: **Yarn Fabrics and Made-ups Export Entitlement (Quota) Policy (2000-2004), in respect of countries where such exports are covered by restraints under the provision of the Agreement on Textiles and Clothing.**

No. 1/161/2000-Exports-I.— Attention is invited to Notification No.1/129/99-Exports-I dated 12th November, 1999, which was amended subsequently by Notification No.13/33/2000-Exports-I dated 8th January, 2001, on the above mentioned subject. It has been decided to further amend the Notification as follows:-

2. The following sub-para (iv) may be added after sub-para (iii) in para 9:-

"(iv) Exporters are required to submit proof of shipment within a period of 45 days from the date of shipment in accordance with the provisions laid-down by the Quota Administering Authority (QAA). In case shipments have not been effected, the original visa/EC/CO and the certified invoice shall be surrendered to the Council and on failing to do so an equivalent amount of quota shall be recovered from the entitlement of the exporters (own or obtained by transfer) after giving a show cause notice".

3. All other terms and conditions of the Notification mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2001

विषय:- **यार्न फेब्रिक और मेड-अप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीति (2000-2004) - उन देशों के संबंध में जहां इस प्रकार के निर्यात, वस्त्र और क्लोदिंग करार के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं ।**

सं. 1/161/2000-निर्यात-I.— उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 1/129/99-निर्यात-1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसे बाद में दिनांक 8 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 13/33/2000-निर्यात-1 द्वारा संशोधित किया गया है । यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना में निम्नानुसार और संशोधन किए जाएं : -

2. पैरा 9 में उप-पैरा (3) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा(4) जोड़ा जाए

" (4) कोटा प्रशासनिक प्राधिकारी (क्यू ए ए) द्वारा निर्धारित उपबन्धों के अनुसार निर्यातकों को लदान की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर लदान का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित है । यदि लदान नहीं होता है, तो मूल वीसा/ई सी/सी ओ तथा प्रमाणित बीजक परिषद को सुपुर्द करना होगा तथा ऐसा करने में असफल होने पर कारण बताओं नोटिस प्रदान करने के पश्चात् (स्वयं या स्थानातरण द्वारा प्राप्त) निर्यातक की हकदारी से कोटा की राशि के बराबर राशि वसूली जाएगी ।"

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना की सभी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2001

Sub: **Garment and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy (2000-2004), in respect of countries where such exports are covered by restraints under the provision of the Agreement on Textiles and Clothing.**

No. 1/161/2000-Exports-L.— Attention is invited to Notification No.1/128/99-Exports-I dated 12th November, 1999, which was amended subsequently by Notifications of even number dated 10th December, 1999, 7th February, 2000, Notification No.1/68 v/2000 dated 13th June 2000, Notification No.1/21/2000-Exports-I dated 21.7.2000, Notification No.1/133/2000-Exports-I dated 20th November 2000, Notification No.13/33/2000-Exports-I dated 8th January, 2001, Notification No.1/49/99-Exports-I dated 24th January 2001 and Notification No.1/21/2000-Exports-I, on the above mentioned subject. It has been decided to further amend the Notification as follows:-

2. The following sub-para (iv) may be added after sub-para (iii) in para 10:-

"(iv) Exporters are required to submit proof of shipment within a period of 45 days from the date of shipment in accordance with the provisions laid-down by the Quota Administering Authority (QAA). In case shipments have not been effected, the original visa/EC/CO and the certified invoice shall be surrendered to

the Council and on failing to do so an equivalent amount of quota shall be recovered from the entitlement of the exporters (own or obtained by transfer) after giving a show cause notice".

3. All other terms and conditions of the Notification mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2001